

दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।



RNI NO - CHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, सोमवार 30 मार्च 2020 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 179

महत्वपूर्ण एव खास

केन्द्रीय मंत्री प्रधान ने पीएम केयर कोष में दान किये एक माह का वेतन

नई दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कोविड-19 के प्रकोप के बीच राहत कार्यों के लिए अपना एक महीने का वेतन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान कर दिया है। एक ट्वीट में, प्रधान ने कहा इस कठिन समय में, हम उन लोगों के लिए खड़े हों, जिन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। कोविड-19 महामारी के महेनजर, मैंने अपने एक महीने का वेतन और अपने सांसद निधि से 1 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए जारी किए हैं ताकि वंचितों तक मुस्कान पहुंचाने में मदद मिल सके।

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1010 से पार

अब तक 26 लोगों की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन नए मरीजों का इजाफा हो रहा है। देश के लगभग हर राज्य से मरीज सामने आ रहे हैं। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1010 पार हो गया है जबकि मृतकों की संख्या 26 तक पहुंच गई है। देश में लॉकडाउन का आज पांचवां दिन है। लोग जहां फंसे हैं, उनकी सहायता करने राज्य सरकारों उतर गई हैं और उन्हें उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है बुजुर्गों को जिनके अपने दूर हैं और उनके लिए जरूरत का सामान जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। कोरोना की वजह से घर के बाहर फंसे लोग परेशान हैं तो कुछ लोग घर के अंदर नए तरह की परेशानी झेल रहे हैं।

कोविड-19 महामारी की तैयारियों की हुई समीक्षा

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के खतरों से बचाव और इसका मुकाबला करने के लिए केंद्र की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करके कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार रोजमर्रा की जरूरत की सभी चीजों को मुहैया कराने के लिए की जा रही व्यवस्था को कहा कि मोदी सरकार देश में प्रत्येक नागरिक के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों पर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रोजमर्रा की जरूरत के सभी सामानों की लोगों तक पहुंच बनाने के लिए के लिए व्यापक प्रबंध किये जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ ही तालमेल से लोगों को सुविधाएं देने का काम किया जा रहा है।

ईपीएफ सदस्यों द्वारा गैर-वापसी योग्य अग्रिम धननिकासी की अनुमति देने योजना में संशोधन अधिसूचित

नई दिल्ली (आरएनएस)। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ईपीएफ योजना में संशोधन के लिए जारी की गई अधिसूचना जीएसआर 225(ई), देश में कोविड-19 महामारी के महेनजर ईपीएफ सदस्यों/अभिदाताओं द्वारा गैर-वापसी योग्य अग्रिम धननिकासी की अनुमति प्रदान करती है। महामारी या वैश्विक महामारी के फैलने की स्थिति में यह अधिसूचना धननिकासी की अनुमति देती है जो तीन महीनों के मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते या सदस्य के ईपीएफ खाते में जमा धनराशि के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोविड-19 को उचित प्राधिकरणों द्वारा पूरे देश के लिए महामारी घोषित किया गया है इसलिए पूरे भारत के प्रतिष्ठानों और कारखानों के कर्मचारी जो ईपीएफ योजना के सदस्य हैं, गैर-वापसी योग्य अग्रिम के लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

परेशानी के लिए मांगी माफी, बोले-मगर इसके अलावा नहीं था दूसरा विकल्प

आपकी जिंदगी बचाने के लिए लगाया गया है लॉकडाउन मन की बात में पीएम ने लोगों को हुई परेशानी पर जताया दुख

कहा-कोरोना से लड़ने के लिए कड़े कदम थे जरूरी

सामाजिक दूरी बढ़ाने और भावनात्मक दूरी कम करने का दिया मंत्र

नई दिल्ली। कोरोना से निपटने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन से लोगों को हो रही परेशानी के लिए माफी मांगते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह आपकी जिंदगी बचाने के लिए लगाया गया है। कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि इंसान को मारने की जिद ले कर बैठे कोरोना से निपटने के लिए दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं

है। लॉकडाउन के दौरान पीएम ने लोगों को सामाजिक दूरी बढ़ाने और भावनात्मक दूरी कम करने का मंत्र भी दिया। पीएम ने कहा कि मुझे पता है कि कोरोना रूपा महामारी की चुनौतियों से पार पाने के लिए सरकार के कुछ कड़े फैसलों से आपकी जिंदगी परेशानी में आ गई है। खासतौर से गरीब बहुत ज्यादा परेशान हैं। कड़े फैसले के कारण हो रही परेशानियों से आपमें से कुछ हमसे नाराज भी होंगे। इन कड़े फैसलों के लिए मैं माफी मांगता हूं। मगर आपकी जिंदगी बचाने के लिए कड़े कदम जरूरी थे। कड़े फैसले आपकी जिंदगी बचाने के लिए हैं। दुनिया में जो भी देश

इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, वो सभी ऐसे ही कड़े कदम उठाने पर मजबूर हैं। क्योंकि इस चुनौती से निपटने का दूसरा कोई विकल्प विज्ञान नहीं ढूंढ पाया है।

जिंदगी से खिलवाड़ ठीक नहीं पीएम ने कहा कि यह सच है कि कोई भी जानबूझ कर कानून नहीं तोड़ता। कई लोगों की कई तरह की परेशानी है। हालांकि कुछ लोग जानबूझ कर लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। ऐसे लोग अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो इस महामारी का सामना करना मुश्किल होगा।

फंटलाइन कोरोना वारियर को सैल्यूट

पीएम ने इस दौरान आगे बढ़ कर कोरोना से उत्पन्न चुनौतियों का आगे बढ़ कर सामना रहे फंटलाइन कोरोना वारियर को सैल्यूट किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। इसके अलावा लोगों की दैनिक जरूरतों को खतरों की परवाह किए बगैर पूरी करने वालों से हमें सीखने की जरूरत है। इसके अलावा इस जंग में कोरोना को परास्त करने वालों ने हमें साहस दिया है। इस दौरान पीएम ने इस मुश्किल समय में किराना दुकान चलाने वाले, ई कॉमर्स, बैंकिंग, डिजिटल ट्रांजेक्शन को संभव बनाने वालों की भी तारीफ की।



कोविड-19 मामलों पर गंभीर ने सांसद फंड से जारी किए 1 करोड़

नई दिल्ली (आरएनएस)। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने कहा है कि कोरोनावायरस की इस मुश्किल समय में इस बीमारी से लड़ने के लिए उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास योजना के लिए एक करोड़ रुपये जारी किए हैं। गंभीर कहा, फिलहाल जो देश के हालात हैं, उसमें सभी संसाधनों को कोविड-19 से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अपने सांसद निधि फंड से राहत कोष में एक करोड़ रुपये दिए हैं और साथ ही अपनी एक महीने की सैलरी भी दान की है।

रही है जिनको कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके तहत गंभीर अपने संसदीय क्षेत्र में गरीब लोगों को फुड पैकेट बांट रहे हैं। गंभीर ने कहा कि उनकी फाउंडेशन ने गरीबों को बांटने के लिए 20000 फुड पैकेट तैयार किए हैं। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज इससे पहले, दिल्ली सरकार को भी कोरोना से मदद के लिए 50 लाख रुपये जारी कर चुके हैं।



गंभीर ने इससे पहले एक बयान में कहा था कि उनकी गौतम गंभीर फाउंडेशन गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए खाने का इंतजाम करा

लॉकडाउन में रसोई गैस रिफिल सिलेंडर की बढ़ी मांग

नई दिल्ली (आरएनएस)। सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कारपोरेशन के चेयरमैन संजीव सिंह ने कहा है कि भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और लोगों को गैस की कमी की डर से गैस सिलेंडर की बुकिंग बढ़ा कर आपूर्ति प्रणाली पर अनावश्यक दबाव नहीं पैदा करना चाहिए।

रिवाज को सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण आवागमन पर तीन सप्ताह की देखभाली 'लॉकडाउन' में लोगों की जरूरत की पूर्ति के लिए ईंधन का पर्याप्त भंडार है। इंडियन ऑयल इस समय अन्य कंपनियों के साथ मिल कर देश में ईंधन की जरूरतों के प्रबंध के व्यापक अभियान में लगी है। सिंह ने

कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्हें घबराहट में एलपीजी की बुकिंग नहीं करनी चाहिए। सिंह कहा हमने पूरे अप्रैल महीने और उसके बाद की अवधि के लिए भी ईंधन की मांग का पूरा अंदाजा लगा लिया है। तेल शोधक इकाइयां जरूरत के हिसाब से काम कर रही हैं ताकि देश का ईंधन की पूरी मांग का इंतजाम किया जा सके। सभी ठेका भंडारण केंद्रों, एलपीजी वितरण



इटली में कोरोना से मरने वालों की संख्या दस हजार पार

रोम। इटली में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) से मरने वालों की संख्या 10023 हो गई है, जबकि अब तक यहां इससे 92,472 लोग संक्रमित हुए हैं। नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रमुख एंजेलो बोरेली ने शनिवार की रात टेलीविजन संबाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में कोविड-19 के कारण आज 889 मरीजों की मौत हुई, जिसके कारण इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 10023 हो गई। सामने आये। उन्होंने बताया कि अभी भी देशभर में 70065 लोग इस घातक विषाणु से ग्रसित हैं।

कोरोना पीड़ितों की संख्या 58 हुई, अब तक पांच की मौत

गांधीनगर (आरएनएस)। गुजरात में कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमितों की संख्या रविवार को बढ़कर 58 हो गयी जबकि इस मरने वाले की संख्या पांच बढ़ कर पांच हो गयी है। राज्य की स्वास्थ्य सचिव सह आयुक्त जयंती रवि ने बताया कि कोरोना से संक्रमित तीन नये मामले आज सामने आये हैं।

शिपिंग लाइंस को बंदरगाहों पर आयात एवं निर्यात नौवाहनों पर कंटेनर रुकाई प्रभार न लगाने का सुझाव

नई दिल्ली (आरएनएस)। जहाजरानी मंत्रालय ने शिपिंग लाइंस को सुझाव दिया है कि वे बातचीत से तय सविदात्मक शर्तों के रूप में वर्तमान में सहमत एवं लाभ उठाई जा रही निशुल्क समय व्यवस्थाओं के अतिरिक्त 22 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 (दोनों दिन सहित) की अवधि के लिए आयात एवं निर्यात नौवाहनों पर कोई कंटेनर रुकाई प्रभार न लगाएं। यह परामर्श भारतीय बंदरगाहों पर समुचित आपूर्ति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए जारी किया गया है। इस अवधि के

दौरान, शिपिंग लाइंस को कोई भी नया या अतिरिक्त प्रभार नहीं लगाने का सुझाव भी दिया गया है। यह निर्णय पूरी तरह कोविड-19 प्रकोप द्वारा उत्पन्न वर्तमान अवरोधों से निपटने के लिए एकमुश्त उपाय है। कोविड-19 महामारी के कारण 25 मार्च, 2020 से देश में लॉकडाउन की घोषणा के बाद डाऊनस्ट्रीम सेवाओं में कुछ बाधाएं आ रही हैं जिसके कारण बंदरगाहों

से वस्तुओं की निकासी में कुछ देर हो रही है। इसके परिणामस्वरूप, कुछ कार्गो मालिक या तो अपना परिचालन स्थगित कर रहे हैं या उन्हें वस्तुओं/कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने और अपने पेपरवर्क को पूरे करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से बिना उनकी किसी गलती के, कंटेनरों को रूकना पड़ रहा है। यह परामर्श व्यापार के सुगम संचालन और देश में आपूर्ति श्रृंखला को बरकरार रखने में सहायक होगा।

अखबार हॉकरों को परेशान न करने थानों को हिदायत

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली पुलिस ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि सुबह के वक्त अखबार बांटने आने-जाने वाले हॉकरों को न रोका जाए। साथ ही दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने लोगों की मदद और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए शनिवार को घर बैठे ही मूवमेंट पास (कर्फ्यू पास) जारी करने का फार्मूला भी निकाल लिया।



दिल्ली पुलिस मुख्यालय प्रवक्ता एसीपी अनिल मिश्र ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा, कई अखबार विक्रेताओं को सुबह के वक्त अखबार बांटने आने-जाने में परेशानी हो रही थी। उनकी इस परेशानी को लॉकडाउन के दौरान दूर करने का उपाय शनिवार को निकाल लिया गया। सभी थाना प्रभारियों को कहा

गया है कि वे सुबह के वक्त किसी भी अखबार विक्रेता के काम में बाधा न डालें। साथ ही, सोशल डिस्टेंसिंग को भी दिल्ली पुलिस प्राथमिकता पर रख रही है। प्रवक्ता के मुताबिक, मूवमेंट पास बनवाने वालों की जिला एडिशनल डीसीपी कार्यालयों में भीड़ लग रही थी। इससे सोशल डिस्टेंसिंग मॉनेटर करने में परेशानी आ रही थी। लिहाजा, जिलों के संबंधित एडिशनल डीसीपी को शनिवार को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे आवेदनकर्ताओं के मूवमेंट पास व्हाट्सएप पर आए कागजात का वैरीफिकेशन करके ही बना दें। डीसीपी कार्यालयों में भीड़ बचेगी। साथ ही लॉकडाउन के दौरान मूवमेंट पास बनवाने के लिए सड़क पर भी लोगों को बैवजह नहीं आना पड़ेगा।

राजमार्ग पर आवागमन रोकने और नए जगहों पर पहुंचे लोगो को आइसोलेट करने के भी निर्देश

मजदूरों की बड़ी संख्या में पलायन से चिंतित केंद्र का राज्यों को निर्देश, अपनी अपनी सीमाएं सील करें राज्य सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना पर लागू के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों के पलायन से केंद्र सरकार चिंतित है। केंद्र सरकार ने राज्यों को पलायन रोकने के लिए अपनी अपनी सीमाएं सील करने और महानगरों से पलायन कर दूसरी जगह पहुंचे लोगों को हल हाल में 14 दिनों के लिए आइसोलेट करने के लिए कहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का सख्ती से का पालन कराने का भी निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण महानगरों में मजदूरों के बीच अफरातफरी मच गई है। दिल्ली, मुंबई सहित कई शहरों से बड़ी संख्या में मजदूर पैदल ही अपने

अपने गणतंत्रों के बीच सड़क मार्ग से रवाना हो गए हैं। इससे कोरोना वायरस का खतरा और बढ़ गया है। रिवाज को राज्यों को जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी राज्य अपने अपने राजमार्गों पर लोगों का आवागमन रोकें। अफरातफरी के बीच जितने भी लोग अलग-अलग जगहों पर गए हैं, उन्हें हल हाल में आइसोलेट करें। सभी राज्यों को जारी निर्देश में कहा गया है कि देश में जरूरी वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। जरूरी

वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी। हालांकि इससे पहले पलायन रोकने के लिए सभी राज्य अपनी अपनी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दें। जारी निर्देश में केंद्र सरकार ने मजदूरों-कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं होने देने, इनके बकाए के भुगतान की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है। यह भी तय करने के लिए कहा गया है कि मकान मालिक फिलहाल इन पर किराया देने का दबाव न बनाएं। ऐसे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो।

कोविड 19 के विरुद्ध अभियान में सांसद निधि से योगदान देने नायडू ने की अपील

नई दिल्ली (आरएनएस)। अनेक कदम उठाए गए हैं जिसके लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय, मानव संसाधनों और साजो समान की आवश्यकता होगी जिसके लिए भारत सरकार विभिन्न तरीकों से जरूरी वित्तीय संसाधन एकत्र कर रही है जिससे केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर तक पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सांसदों की तत्परता भारत सरकार द्वारा इस संक्रमण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

नई दिल्ली (आरएनएस)। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ईपीएफ योजना में संशोधन के लिए जारी की गई अधिसूचना जीएसआर 225(ई), देश में कोविड-19 महामारी के महेनजर ईपीएफ सदस्यों/अभिदाताओं द्वारा गैर-वापसी योग्य अग्रिम धननिकासी की अनुमति प्रदान करती है। महामारी या वैश्विक महामारी के फैलने की स्थिति में यह अधिसूचना धननिकासी की अनुमति देती है जो तीन महीनों के मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते या सदस्य के ईपीएफ खाते में जमा धनराशि के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोविड-19 को उचित प्राधिकरणों द्वारा पूरे देश के लिए महामारी घोषित किया गया है इसलिए पूरे भारत के प्रतिष्ठानों और कारखानों के कर्मचारी जो ईपीएफ योजना के सदस्य हैं, गैर-वापसी योग्य अग्रिम के लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

